भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *54

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत पानी के कनेक्शन

***54. श्री मनीष जायसवालः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड में चल रहे जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत अब तक कितने घरों को पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है;
(ख) झारखंड में उक्त मिशन के तहत बजट आवंटन सहित कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) हज़ारीबाग़ और रामगढ़ जिलों में कितने घरों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया गया है; और
(घ) सरकार का हज़ारीबाग और रामगढ़ जिलों के शेष घरों में नल से जल का कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 06/02/2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *54 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता की और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया, जिसे अगस्त, 2019 में राज्यों के साथ भागीदारी में लागू किया जाएगा।

पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है।

अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, झारखंड में केवल 3.45 लाख (5.52%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, राज्य में 30.73 लाख अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। 24.1.2025 तक राज्य में 34.18 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति से कवर किए जाने की सूचना है।

झारखंड में, जेजेएम आईएमआईएस के अनुसार राज्य के 29,398 गांवों में से 6259 गांवों को शत-प्रतिशत कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) के माध्यम से कवर किया गया है।

आज की स्थिति के अनुसार, बजट आवंटन और झारखंड द्वारा आहरित निधि की स्थिति निम्नानुसार है: -

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	**केंद्रीय हिस्सा**					**राज्य के हिस्से के तहत व्यय**
	अथ शेष	**आवंटित निधि**	**आहरित निधि**	**उपलब्ध निधि**	**संसूचित उपयोग**	
2019-20	75.79	267.69	291.19	382.97*	114.89	104.76
2020-21	268.08	572.24	143.06	411.14	286.62	177.53
2021-22	124.51	2,479.88	512.22	636.73	437.21	510.99
2022-23	199.52	2,825.52	2,119.14	2,318.66	1,789.85	1,593.00
2023-24	528.81	4,722.76	2.875.35	3,404.16	3,140.70	3,291.53
2024-25*	263.46	2,114.22	0.0	263.46	114.51	282.82
कुल		12,982.31	5,940.96		5,883.78	5,960.63

*आरडब्ल्यूएसएसपी-एलआईएस निधि और बैंक ब्याज सहित [स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस]

(ग) और (घ) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 24.01.2025 तक, हजारीबाग जिले में 3.48 लाख ग्रामीण परिवारों में से 2.07 लाख (59.45%) ग्रामीण परिवारों और रामगढ़ जिले में 1.44 लाख ग्रामीण परिवारों में से 1.00 लाख (69.54%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व झारखंड राज्य सरकार का है। झारखंड की राज्य सरकार ने 2027 तक हजारीबाग और रामगढ़ दोनों जिलों को एफएचटीसी से परिपूर्ण करने का निर्णय लिया है।

*****